पत्र सं०-एम-4-53/2007-528/वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव(व्यय) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक- 17-01-2020

विषयः- स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि स्कीमों के स्वीकृति के प्रयोजनार्थ दिनांक 01.04.2017 से योजना एवं गैर योजना स्कीमों का विलय हो जाने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-306 दिनांक-17.03.2017 द्वारा वित्तीय मामलों में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017, 4573 दिनांक-04.07.2017, 8236 दिनांक-17.10.2017, 4443 दिनांक-14.06.2018, 6439 दिनांक-28.08.2018, 7730 दिनांक-15.10.2018, 7731 दिनांक-20.09.2019 एवं 9391 दिनांक-25.11.2019 द्वारा स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है ।

दिनांक-18.11.2019 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में नाबार्ड एवं विश्व बैंक से वित्त संपोषण हेतु सम्पन्न Project Screening Committee की बैठक में विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा नाबार्ड एवं वाह्य संपोषित परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्ति हेतु भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर, इसके लिए गठित Project Screening Committee का अनुमोदन प्राप्त किये बगैर ही, संबंधित परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति विभिन्न सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, जिस कारण Project Screening Committee के अनुमोदन की प्रासंगिकता उपेक्षित हो जाता है ।

अतः समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया कि वैसी परियोजनाएँ जिसमें नाबार्ड या वाह्य एजेन्सी से ऋण के माध्यम से वित्त पोषण किया जाना है, उन परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व NABARD एवं Externally Aided Project के लिए गठित Project Screening Committee की स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । इस व्यवस्था में भी संबंधित स्कीमों में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार वही होंगे जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में वर्णित है ।

कृपया उक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय)